प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-12-09-2024

जनपद अम्बेडकरनगर थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा गोवध के 02 नफर अभियुक्तों व 02 नफर बाल अपचारी को पुलिस मुठभेड़ में 02 अदद गोवंश व एक अदद 12 बोर नाजायज तमन्चा,नाल मे फंसा एक अदद खोखा कारतूस,एक अदद जिन्दा कारतूस, एक पिकअप बोलेरो वाहन के साथ किया गया गिरफ्तार।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.09.2024 को थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त में मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की एक पिकअप गोवंश लादे हुए रैदापुर मोड़ की तरफ से आ रही है। प्राप्त सूचना पर थानाध्यक्ष मय फोर्स रैदापुर पुल के पास इंतजार कर रहे थे कि एक पिकअप बिना नम्बर प्लेट की आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस वालो को आता देखकर पिकअप मे बैठे व्यक्ति जान से मारने की नियत से फायर कर भागने लगे, आत्मरक्षार्थ व गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु जैतपुर पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया। जिसमें 01 अभियुक्त अबुल कैश पुत्र नवी अहमद निवासी ग्राम फत्तनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष को पैर में गोली लगी तथा दूसरा अभियुक्त 02. रवि राजभर पुत्र राजेश निवासी ग्राम माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष भागने के दौरान गिरने से घायल हो गया तथा 02 नफर अभियुक्त 03.बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष 04. बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से एक अदद 12 बोर नाजायज तमन्चा, नाल मे फंसा एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद गोवंश व एक पिकअप बोलेरो वाहन बरामद किया गया। घायल अभियुक्तो को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

01.अबुल कैश पुत्र नवी अहमद निवासी ग्राम फत्तनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

02.रवि राजभर पुत्र राजेश निवासी ग्राम माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

03.बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष।

04. बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष।

विवरण बरामदगी-

एक अदद 12 बोर नाजायज तमन्चा

नाल मे फंसा एक अदद खोखा कारतूस

एक अदद जिन्दा कारतूस

02 अदद गोवंश

एक पिकअप बोलेरो वाहन।

विवरण पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 197/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम ।

विवरण आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अबुल कैश पुत्र नवी अहमद निवासी ग्राम फत्तनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 149/21 धारा 379 भादवि कन्धरापुर।

अभियुक्त रवि राजभर पुत्र राजेश निवासी ग्राम माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 197/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि लव3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम थाना जैतपुर -

1. थानाध्यक्ष श्रीमती वन्दना अग्रहरी
2. उ0नि0 दिनेश चन्द्र मिश्र
3. उ0नि0 संदीप विश्वकर्मा
4. हे0का0 रामजीत यादव
5. का0 अरविन्द कुमार
6. का0 बृजेश यादव
7. का0 अमित यादव